भारत सरकार
रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड

सं. 96-सेक (ई).ए.आर.-1/1/पोल

नई दिल्ली, दि 31-5-96

स्थायी आदेश सं. 6

मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रे.सु.ब. सब क्षेत्रीय रेलें
महानिरक्षक आर.पी.एस.एफ. नई दिल्ली।

विषय : नियमों-अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए सेवा मामलों में अपने हितों को आगे बढ़ाने का प्रयास करने वाले अधिकारियों और जवानों के बारे में।

हाल में यह देखा गया है कि वरिष्ठ अधिकारियों और बल के सदस्यों के स्थानान्तरणों, तैनातियों, पदोन्नतियों से सम्बद्ध सेवा मामलों में और अनुशासन और अपील मामलों में भी बाहरी व्यक्तियों द्वारा प्रवर्तित मामलों में भारी वृद्धि हुई है। इनमें से बहुत से मामलों में यह भी देखा गया है कि संबंधित अधिकारियों ने सरकारी तौर पर उपलब्ध निवारक माध्यमों का उपयोग नहीं किया जैसे उचित माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को आवेदन देना या अपनी व्यक्तिगत शिकायतों के निवारण के लिए आर्डरली रुम आदि में संबंधित अधिकारियों के सामने उपस्थित होना आदि।

2. एक अन्य दुर्भाग्यपूर्ण रुझान देखने में आया है कि कुछ अधिकारी और बल के सदस्य अपनी पत्नियों, माताओं या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अभयावेदन रे.सु.ब. के वरिष्ठ अधिकारियों या रेल मंत्रालय को भेजने का रास्ता अपनाते हैं और यह भी सेवा मामलों में अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए उच्चतर अधिकारियों पर बाहरी प्रभाव डालने की कोटि में आता है।

3. रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966 में यह व्यवस्था है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार के अधीन अपनी सेवा से सम्बद्ध मामलों के बारे में अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए किसी उच्चतर अधिकारी पर कोई राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव नहीं डालेगा या डालने की कोशिश नहीं करेगा।

4. रेलवे सुरक्षा बल नियम, 1987 के नियम 113 में बताय गया है कि बल के सदस्यों के लिए यह वर्जित है कि वे अन्य विभागों के अधिकारियों, विधान सभा के सदस्यों या प्राइवेट व्यक्तियों के पास शिकायतों का निवारण प्राप्त करने या व्यक्तिगत दावों को बढ़वाने के लिए जाएं। इसी प्रकार बल के सभी सदस्यों के लिए इस बात की मनाही है कि वे अपनी व्यक्तिगत शिकायतों को विधान सभाओं में प्रश्न का विषय बनवाने के लिए किसी विधान सभा सदस्य के पास जाएं।

5. इस संबंध में आपका ध्यान रेल मंत्रालय के पत्र सं. ई (डी एंड ए) 85/आर जी/6-3 दि. 28.5.85 के साथ अग्रेषित कार्मिक विभाग के अनुदेशों की ओर भी आकृष्ट किया जाता है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जो रेल कर्मचारी इस संबंध में आचरण नियमों का पहली बार उल्लंघन करता है उसे उपयुक्त अनुशासनिक अधिकारी सलाह देगा कि वह ऐसी कार्यवाईयों से बाज़ रहे और कर्मचारी द्वारा दूसरी बार उपबन्धों का उल्लंघन करने की स्थिति में उसे लिखित चेतावनी दी जाए और उसकी प्रति उसकी गोपनीय रिपोर्ट फाइल में रखी जाए और यदि इस उपबन्धों का उल्लघंन करने का वह पुन: दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासीनिक कार्रवाई आरंभ की जाए।

6. चूंकि सेवा मामलों में राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव डालने से बल के अनुशासन को क्षति पहुंचाने के साथ-साथ आचरण नियमों और रे.सु.ब., नियमों का उल्लंघन होता है, आपसे अनुरोध है कि निम्नलिखित कार्यवाही शीघ्र करें :-

(i) इन उपबन्धों के उल्लंघन की स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही के बारे में आचरण नियमों, आर.पी.एफ. नियमों के सम्बद्ध उपबन्धों और उपर्युक्त अनुदेशों को व्यक्तिगत रुप से तब अधिकारियों और जवानों के ध्यान में लाया जाए और उनकी पावती प्राप्त करके रिकार्ड में रखी जाए। राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में पावती अधोहस्ताक्षरी को रिकार्ड के लिए भेजी जाए।

(ii) रेल मंत्रालय के पत्र सं. ई (ही एंड ए) 85/आर जी/जी-3 दि. 28.5.85 के साथ अग्रेषित कार्मिक विभाग के पत्र में वर्णित अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए और आचरण नियमों के सब मामलों का निपटारा किया जाए।

(iii) साथ ही, कर्मचारियों की सब वास्तविक शिकायतों का निवारण करने के लिए कार्यवाई की जानी चाहिए। इसके कारण किसी को दुखी नहीं रहने दिया जाना चाहिए। मैं चाहूंगा कि मंडल सुरक्षा आयुक्त/आर पी एस एफ के कमांडेंट हर रोज़ 3.30 बजे से 4.30 बजे का समय आ पी एफ जवानों की शिकयतें सुनने में लगाएं। बाहरी एजेंसियों का दखल बन्द करना और शिकायत निवारण ये दोनों बातें साथ-साथ होनी चाहिए।

इन अनुदेशों की पावती भेजें और की गई कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को 30 दिन के अन्दर भेजें।

जोगिन्दर सिंह
महानिदेशक/रेल सु. बल

प्रतिलिपि : सभी रेलों के डी एस सी/रे.सु.ब. और सब आर. पी. एस. एफ. बटालियनों के कमांडेंट